फ़ाइल सं. आईसीएमआर-एनआईआरईएच/स्था/2025/616 दिनांक: 14.11.2025

विज्ञापन सं. आईसीएमआर-एनआईआरईएच/प्रशासन/2025/03

Advertisement no. ICMR-NIREH/Admn/2025/03

*****

आईसीएमआर-एनआईआरईएच, भोपाल में युवा पेशेवर-I (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक की संलग्नता के लिए विज्ञापन

आईसीएमआर-राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर-एनआईआरईएच), भोपाल **युवा पेशेवर-I (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक** के **01 पद (अनारक्षित)** के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित करता है, जिसे पूरी तरह से समयबद्ध अस्थायी संविदा आधार पर भरा जाना है। निर्धारित प्रारूप वेबसाइट- https://nireh.icmr.org.in/ और https://www.icmr.gov.in/employment-opportunities पर उपलब्ध है। उपरोक्त पद के लिए आवेदन करते समय, उम्मीदवारों को विधिवत भरा हुआ निर्धारित आवेदन-पत्र को ईमेल-आईडी: nirehproject@gmail.com पर दिनांक **12.12.2025 को शाम 05.00** बजे तक या उससे पहले भेजना होगा। सभी आवेदनों की जांच की जाएगी और केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बाद में साक्षात्कार के विवरण के बारे में सूचित किया जाएगा। पदों के लिए साक्षात्कार वॉक-इन-इंटरव्यू / वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए विशिष्ट तिथि और समय स्लॉट ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

2. चयनित उम्मीदवार को आईसीएमआर-एनआईआरईएच, भोपाल में तैनात किया जाएगा।
3. **आयुः** आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख तक 35 वर्ष से अधिक नहीं। (आयु में नियमानुसार छूट है।)
4. **शैक्षणिक योग्यताः** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/कॉलेज से, हिंदी में स्नातक (न्यूनतम 55% अंकों के साथ) जिसमें अंग्रेजी विषय अनिवार्य/वैकल्पिक/माध्यम के रूप में सम्मिलित हो, तथा संबंधित क्षेत्र/विषय में न्यूनतम एक वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव हो।
5. **वांछनीय योग्यताः** अनुवाद में डिप्लोमा और कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेज़ी टंकण की जानकारी तथा MS ऑफिस की मौलिक जानकारी तथा अनुवाद कार्य में कम से कम 02 वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरियता दी जाएगी।
   नोटः संबंधित क्षेत्र में अधिक अनुभव रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. **कार्य-क्षेत्रः** युवा पेशेवर-I (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक के पद के लिए कार्य-क्षेत्र निम्नानुसार है:
   - हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य करना।
   - वांछित भाषा में उपर्युक्त कार्य को टाइप करना।

- हिंदी समिति के अध्यक्ष के द्वारा सोपे गए कार्यों जैसे तिमाही बैठक का आयोजन, हिंदी तिमाही रिपोर्ट बनाना, हिंदी दिवस अथवा पखवाड़े के आयोजन में सहयोग करना।
- संस्थान के द्वारा किये जा रहे पत्राचार का शत प्रतिशत द्विभाषी अर्थात हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना।
- संस्थान में हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग करना
- नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त अन्य कार्य।

7. **पारिश्रमिकः** युवा पेशेवर-। (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक का समेकित पारिश्रमिक ₹30,000/- रुपये प्रति माह होगा। युवा पेशेवरों को कोई मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) नहीं दिया जाएगा।
8. **संलग्नता की अवधिः** युवा पेशेवर-। (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक की संलग्नता एक वर्ष की अवधि के लिए है, जिसे यदि आवश्यक हुआ तो, आईसीएमआर-एनआईआरईएच द्वारा संबंधित क्षेत्र में कार्य सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका मूल्यांकन करने के बाद उम्मीदवारों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया/घटाया जा सकता। हैं। आईसीएमआर/आईसीएमआर के संस्थानों/केन्द्रों में युवा पेशेवर-। की संलग्नता की अधिकतम अवधि किसी भी स्थिति में तीन वर्ष (1+1+1) से अधिक नहीं होगी।
9. **कर कटौतीः** महीने के वेतन का भुगतान करने से पूर्व, प्रचलित नियमों के अनुसार आयकर अथवा अन्य लागू करों की राशि स्रोत पर ही काटी जाएगी। सभी लागू करों की कटौती शासकीय नियमों एवं विनियमों के अनुसार स्रोत पर की जाएगी।
10. **यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ताः** युवा पेशेवर-। (प्रशासन) जूनियर हिंदी अनुवादक के लिए आईसीएमआर के दिशा-निर्देशों के अनुसार सरकारी कार्य हेतु किए जाने वाले स्वदेशी दौरों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता स्वीकार्य होगा।
11. **उपस्थिति एवं कार्य दिवस/ कार्य समयः** कार्य का समय प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक होगा। हालांकि, आवश्यकतानुसार इसे बढ़ाया जा सकता है और कार्यालय समय से अधिक काम करने पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा। बिना किसी वैध कारण के लगातार 08 दिनों तक अनाधिकृत अनुपस्थित रहने पर यह संलग्नता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
12. **अवकाश पात्रताः** कार्यालय में युवा पेशेवर-। भारत सरकार/आईसीएमआर के नियमों के अनुसार आनुपातिक आधार पर एक कैलेंडर वर्ष में 08 दिनों की छुट्टी और 02 प्रतिबंधित छुट्टियों के पात्र हैं। छुट्टियों के दौरान बीच में पड़ने वाले साप्ताहिक अवकाश, छुट्टियों या राजपत्रित अवकाश को स्वीकार्य छुट्टियों में नहीं गिना जाएगा। अप्रयुक्त छुट्टियों को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, युवा पेशेवरों को छुट्टियों पर सौंपी गई ड्यूटी के बदले प्रतिपूरक अवकाश की भी अनुमति दी जाएगी, लेकिन एक माह में 02 से अधिक छुट्टियां नहीं दी जाएगी। प्रतिपूरक अवकाश एक बार में अधिकतम 05 दिनों का ही संचित किया जा सकता है तथा युवा पेशेवरों को तीन माह के भीतर इसका लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी।

    महिला युवा पेशेवर को मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। तथापि, पुरुष युवा पेशेवर के लिए पितृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं होगा।

13. **बौद्धिक संपदा अधिकारः** आईसीएमआर मुख्यालय अथवा इसके संस्थानों में युवा पेशेवर-I द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान सृजित की गई किसी भी बौद्धिक संपदा पर परिषद की बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी दिशानिर्देश लागू होगें।
14. **यौन शोषण एवं उत्पीड़न पर निषेधः** युवा पेशेवरों को कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
15. **अन्य नियम एवं शर्तेः**
    (क) युवा पेशेवर-I देश के गोपनीयता संबंधी कानूनों के अधीन होगा तथा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता घोषणा-पत्र एवं गोपनीयता-अभिसमय (एनडीए) पर हस्ताक्षर करेगा।
    (ख) यह अनुबंध आईसीएमआर में किसी भी प्रकार की नियमित नियुक्ति अथवा स्थायी रोजगार नहीं माना जाएगा।
    (ग) अनुबंध की अवधि के दौरान युवा पेशेवर-I को आचरण के निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। इनके उल्लंघन की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
    (घ) युवा पेशेवर-I का अनुबंध अस्थायी प्रकृति का है तथा इसे कभी भी बिना पूर्व सूचना एवं बिना किसी कारण बताए समाप्त किया जा सकता है। तथापि, सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पक्ष द्वारा कम से कम एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
16. **वैधानिक स्थितिः** व्यक्तिगत युवा पेशेवर-I को पूर्णतः संविदात्मक एवं अस्थायी आधार पर संलग्न किया जाएगा तथा उसे किसी भी उद्देश्य के लिए परिषद् / संस्थान का "कर्मचारी" अथवा "अधिकारी" नहीं माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त युवा पेशेवर आईसीएमआर अथवा इसके किसी भी संस्थान/केन्द्र या भारत सरकार में सेवा के नियमितीकरण अथवा अनुबंध अवधि के विस्तार का कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस संबंध में, युवा पेशेवर को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व एक अभिप्राप्ति-पत्र (undertaking) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
17. **अनुशासन एवं शिष्टाचारः** चयनित उम्मीदवार को संस्थान के सभी नियमों एवं मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तथा इसके परिणामस्वरूप अनुबंध समाप्ति सहित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
18. **बीमाः** प्रत्येक युवा पेशेवर-I अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन हेतु आवश्यक बीमा करवाने तथा बनाए रखने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। साथ ही, अनुबंध अवधि के दौरान जीवन, स्वास्थ्य या अन्य प्रकार के बीमा की व्यवस्था अपने स्वयं के व्यय पर करना उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
19. **विवादों का निपटाराः** परिषद/आईसीएमआर संस्थान/केन्द्र तथा प्रत्येक युवा पेशेवर अनुबंध अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, मतभेद या दावे को आपसी सहमति से सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे।
20. **हितों का टकरावः** युवा पेशेवर-I से अपेक्षा की जाएगी कि वह परिषद एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करे। उसे अपने कार्यों के निष्पादन में पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा एवं गोपनीयता बनाए रखनी होगी। यदि किसी युवा पेशेवर-I की सेवा असंतोषजनक पाई जाती है या संस्थान/परिषद/भारत सरकार के हितों के विपरीत पाई जाती है तो उसका

अनुबंध/ सेवा बिना किसी कारण बताए तत्काल समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में एक *घोषणापत्र* युवा पेशेवर-I द्वारा कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व हस्ताक्षरित किया जाएगा।

21. **लेखा परीक्षण एवं जांचः** प्रत्येक चालान/ बिल, जो परिषद्/संस्थान/केन्द्र द्वारा भुगतान किया जाएगा, समय-समय पर लेखा परीक्षकों (आंतरिक/ बाह्य) द्वारा पश्च-लेखा परीक्षण (पोस्ट ऑडिट) के अधीन होगा। संबंधित युवा पेशेवर यह स्वीकार करता/करती है और सहमति प्रदान करता/करती है कि परिषद्/ भारत सरकार द्वारा परामर्श अनुबंध या उसके अनुमोदन से संबंधित किसी भी पहलू पर की जाने वाली एसी जांचों/ भुगतान पश्चात् लेखा परीक्षाओं में वह पूर्ण एवं समयबद्ध सहयोग प्रदान करेगा/करेगी।

22. **यात्रा, चिकित्सीय स्वीकृति तथा सेवा के दौरान मृत्यु, चोट या बीमारीः** परिषद्/संस्थान/केन्द्र आवश्यकता पड़ने पर युवा पेशेवर-I से कार्यारंभ से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सक द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि किसी युवा पेशेवर की मृत्यु, चोट या बीमारी से संस्थान की ओर से यात्रा पर रहते हुए या इसके कार्यालय में किसी भी सेवा के निर्वहन के दौरान होती है तो संस्थान युवा पेशेवर-1 या उसके आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

23. **दैविक आपदा एवं अन्य शर्ते (Force Majeure) :** यहाँ प्रयुक्त *दैविक आपदा* (Force Majeure) का अभिप्राय किसी अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित प्राकृतिक घटना, युद्ध घोषित/ अघोषित (आक्रमण, क्रांति, विद्रोह अथवा इसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों से है, जो युवा पेशेवर-I के नियंत्रण से बाहर हों तथा जिनमें उसकी कोई लापरवाही अथवा दोष न हो। युवा पेशेवर-I इस बात को स्वीकार करता है कि अनुबंध के अंतर्गत उसे जिन क्षेत्रों में शांति स्थापना, मानवीय सहायता या इसी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना है, उन क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों या नागरिक अशांति से उत्पन्न विलंब अथवा दायित्वों के निर्वहन में असफलता को *दैविक आपदा* (Force Majeure) नहीं माना जाएगा।

24. **व्याख्याः** यदि इन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या को लेकर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो यह मामला निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरईएच को संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

25. **शिथिलीकरण की शक्तिः** यदि निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरईएच को यह प्रतीत होता है कि किसी प्रावधान को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे कारणों को अभिलेख में अंकित करते हुए आदेश द्वारा इन दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं।

26. **भर्ती प्रक्रियाः**

    (i) जो उम्मीदवार आयु और अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं एवं आवश्यक योग्यता, अनुभव आदि रखते हैं और उपरोक्त वर्णित पद पर काम करने के इच्छुक हैं, आवेदन कर सकते हैं और आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारूप के साथ ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर आवेदनों की प्राप्ति के समय की अंतिम तिथि या उससे पहले भेज सकते हैं। इस स्तर पर किसी भी आवेदन पत्र/दस्तावेजों की हार्ड-कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

    (ii) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की छटनी शैक्षिक योग्यता, आयु एवं अनुभव के आधार पर की जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ, तो साक्षात्कार से पहले लिखित परीक्षा और असाइनमेंट भी आयोजित किया जा सकता है।

किसी भी स्तर पर बराबर अंक आने की स्थिति में समान अंक पाने वाले सभी उम्मीदारों को आगामी के चरण के लिए योग्य माना जाएगा।

(iii) अल्पसूचीबद्ध किए गए उम्मीद्वारों को ही साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी तथा उम्मीद्वार विज्ञापन से संबंधित अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट देख सकते हैं।

(iv) उम्मीदारों का चयन साक्षात्कार में किए गए प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

(v) यदि चयन हो जाता है, तो उम्मीदारों को कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशंसा-पत्र आदि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

(vi) चयनित उम्मीदारों को सत्यापन के लिए उपरोक्त सभी दस्तावेज मूल रूप में लाने होंगे।

27. नियम और शर्तें

(i) अपूर्ण आवेदन पत्र या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए गए आवेदन पत्र या बिना फोटो, बिना शैक्षिक दस्तावेज, बिना अनुभव प्रमाण-पत्र और बिना हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्र या अंतिम तिथि के बाद पास होने वाले आवेदन पत्र को सामान्यतः अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने पर भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी अयोग्य घोषित कर दी जाएगी।

(iii) युवा पेशेवर-I को भविष्य निधि, पेंशन योजना, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा दावा, महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, परिवहन भत्ता, बोनस आदि का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

(iv) योग्यता और अनुभव प्रासंगिक अनुशासन / क्षेत्र में और प्रतिनिधि संस्थान से होना चाहिए। न्यूनतम आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के बाद अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए। (यदि आवश्यक हो)

(v) अनारक्षित पद के लिए कोई आयु में छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(vi) आईसीएमआर–एनआईआरईएच, बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है और इस मामले में किसी भी पत्राचार/सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा।

(vii) आईसीएमआर–एनआईआरईएच, वेबसाइट पर विज्ञापित किसी भी पद को भरने या न भरने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(viii) आईसीएमआर–एनआईआरईएच, योग्य उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम आयु और शैक्षिक योग्यता में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता हैं।

(ix) चयनित होने पर उम्मीदारों की कार्यभार ग्रहण करते समय अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, प्रशंसापत्र आदि के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।

(x) की गई छटनी या रोजगार के लिए किसी भी रूप में अपने पक्ष में प्रार्थना करना या बाहरी प्रभाव डालना अयोग्यता माना जाएगा और उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा।

(xi) केवल आवश्यक योग्यता/अनुभव पूरा करना ही चयन की गारंटी नहीं है।

(xii) चूंकि युवा पेशेवर-I पद पूर्णतः अस्थाई और संविदा आधार पर भरा जाना है, अतः उम्मीदवारों को आईसीएमआर के अंतर्गत किसी भी प्रकार के नियमित/स्थाई रोजगार या किसी अन्य परियोजना में अपनी सेवाएं जारी रखने का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(xiii) संस्थान के निदेशक प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है. जो एक वर्ष के लिए वैध होगा।

(xiv) साक्षात्कार में भाग लेने या पदभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा तथा चयन होने की स्थिति में उम्मीदवारों को पदभार ग्रहण करने के बाद साक्षात्कार की अवधि के दौरान ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(xv) किसी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/स्वायत/विभाग/पीएसयू के अंतर्गत पहले से नियमित सेवा में कार्यरत उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

(xvi) एक बार आवेदन करने के बाद श्रेणी में बाद में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

(xvii) जो अभ्यर्थी शामिल होने के समय मूल प्रमाण पत्र लाने में विफल रहते हैं और यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है तो ऐसे उम्मीदवारों को चयनित अनुबंध पद में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रतीक्षासूची के उम्मीदवारों को स्थिति प्रदान की जाएगी।

(xviii) सक्षम प्राधिकारी बिना किसी कारण बताए अनुबंध अवधि या विस्तारित अनुबंध अवधि के दौरान भी अनुबंध कर्मियों की सेवा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(xix) आईसीएमआर-एनआईआरईएच को यह अधिकार सुरक्षित है कि वह किसी भी चरण में, अपने विवेकानुसार, चयन प्रक्रिया को रद्द या संशोधित कर सकता है।

(xx) सभी शैक्षणिक योग्यताएं/प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से होने चाहिए।

(xxi) ऐसे किसी भी मामले में, जिसके संबंध में स्पष्ट निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, निर्णय निदेशक, आईसीएमआर-एनआईआरईएच, भोपाल द्वारा किया जाएगा। निदेशक का यह निर्णय अंतिम एवं सभी अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

(xxii) उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में कोई भी परिशिष्ट/शुद्धि-पत्र, नोटिस केवल वेबसाइट https://nireh.icmr.org.in और https://www.icmr.gov.in/employment-opportunities पर जारी किया जाएगा और प्रेस में कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। आवेदकों से अनुरोध है कि वे स्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहे।

निदेशक
आईसीएमआर-एनआईआरईएच, भोपाल